

सं. एफपी-19/04/2026- स्था.-भाग (7)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली- 110029

दिनांक : 8 जुलाई, 2026

कार्यालय आदेश

परिषद के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांकित 24.04.2026 के अनुक्रम में, यह दोहराया जाता है कि श्रीमती शिबि जैकब, वरि. प्रशासन अधिकारी, एआईसीएमआर-एनआईवी, पुणे को तत्काल प्रभाव से अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट करने का निदेश दिया जाता है।

2. संबंधित संस्थान के आहरण एवं संवितरण अधिकारी दिनांक 15.07.2026 से उल्लेखित अधिकारी का वेतन आहरित नहीं कर सकेंगे।
3. इस संबंध में किसी अन्य अनुरोध/अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

-हस्त-
(जयबीर सिंह)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि :-

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक (इंट्राम्यूरल/एक्स्ट्राम्यूरल/ वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि. वित्त सलाहकार के निजी सचिव, परिषद मुख्यालय।
2. आईसीएमआर-एनआईवी, पुणे के निदेशक/निदेशक-प्रभारी- इस अनुरोध के साथ कि आदेश के सुचारु कार्यान्वयन हेतु अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करें तथा कार्यमुक्ति की रिपोर्ट स्थापना अनुभाग, परिषद मुख्यालय को ईमेल (admin1.hq@icmr.gov.in) के माध्यम से 7 दिनों के भीतर भेजें।
3. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक (वित्त एवं लेखा)/ सहायक महानिदेशक (भर्ती एवं पदोन्नति), परिषद मुख्यालय।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, परिषद मुख्यालय।
5. नोडल अधिकारी, ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ।
6. पीएफ/ बजट फाइल/ गार्ड फाइल।